न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

सारू बाई वगै० बनाम जमनालाल वगे0

प्रकरण संख्या :-30/25

1. सारू बाई पत्नी प्रभुलाल जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

2.बीरम पुत्र प्रभुलाल जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

3.चंद्रकलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

4. गोपाल पिता मांग्या जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

5. भंवरी बाई पुत्री मंग्या जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

6 जड़ाव बाई पुत्री मांग्या जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

7 कौशल्या बाई पुत्री मांग्या जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

8 संतोष बाई पुत्री मांग्या जाति लोधा निवासी खेड़ी जागीर तहसील मनोहरथाना

..... प्रार्थी

1 जमनालाल पिता बीरम जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

2.हेमराज पिता बीरम जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

3. नवल किशोर पिता बीरम जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

4.रामदयाल पिता बीरम जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

5. मोहनलाल पिता किशना जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

6. गुलाबचंद पिता किशना जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

7.राम प्रसाद पिता किशना जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

8.ललता बाई पिता किशना जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

9.केला बाई पिता किशना जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

10. पानाबाई पिता किशना जाति लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहर थाना

11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

..... अप्रार्थीगण

विषय: प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 05.02.2026

उपस्थित

श्री गजेंद्र नामा,अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अशोक कुमार लववंशी, अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 20.11.2025 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवान वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

ग्राम खेड़ी जागीर पटवार हलका बड़बद तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 11 पुरानी 10 की कुल 10 किता की 23 बीघा 11 विस्वा आरजी प्रार्थी व अपार्थी के शामिल खातेदारी में दर्ज थी ।जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर हिस्सा दर्ज था। प्रशासन गांवों के संग राजस्व अभियान 2010 में दिनांक 8.11.2011 को प्रार्थीगण के वालिद मंग्या एवं प्रार्थीगण के पिता किशना ने अपनी इच्छा से अपना खाता विभाजन करवा कर 1/2,1/2 आरजी पृथक पृथक खाते दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन अप्रार्थिगण की बारिस किशना ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उसके हिस्से की 1/2 भाग अर्थात 11 बीघा 16 विस्वा के स्थान पर 14 बीघा 7विस्वा आरजी दर्ज करवा ली तथा प्रार्थी गण के पिता मृतक मांग्या के खाते में 11 बीघा 16 विस्वा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

आराजी के बजाय 9 बीघा एक बिस्वा आराजी दर्ज करवा दी ।प्रार्थीगण के पिता मृतक मांग्या का मौके पर 1/2 हिस्सा पर अर्थात 11 बीघा 16 विस्वा आरजी पर ही कब्जा चल रहा है। प्रार्थीगण के बलित मृतक मांग्या दिनांक 22 मार्च 2012 को अपने खाते की नकल प्राप्त की जिससे ज्ञात हुआ कि उसके खाते में 11 बीघा 16 विस्वा के स्थान पर 9 बीघा एक बिस्वा आराजी रिकॉर्ड में दर्ज है जो गलत हो गई है तथा काबिल दुरुस्ती है ।प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजी में से वर्तमान में ग्राम खेड़ी जागीर पटवार हलका बड़बद तहसील मनोहरथाना के खाता संख्या नया 51 पुराना 51 कुल 5 किता की 1.4649 आरजी प्रार्थीगण के शामिल खातेदारी में दर्ज है ।प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजी में से वर्तमान में खाता संख्या नया 49 पुरानी 34 कुल चार किताब की 0.4290 हेक्टेयर अप्रार्थीगण एक लगायत 4 के शामिल खातेदारी में दर्ज है उक्त आरजी के संबंध में न्यायालय में प्रकरण विचारधीन होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण कानून का उल्लंघन करते हुए उक्त आरजी पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है अब उक्त आरजी में से कुछ आरजी को अप्रार्थीगण बेचान,गिरवी, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा विवादित आरजी के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति पर परिवर्तन करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी हेतु एवं अधिकार नहीं है ।अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आरजी के किसी भी मौके, रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से धन द्वारा संभव नहीं हो सकेगी और प्रार्थी ।गण को व्यर्थ की मुकदमे बाजी में उलझन पड़ेगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में से खाता संख्या नया 49 पुरानी 34 कुल चार किता की 0.4290 हेक्टेयर भूमि को दिनांक 13.10.2025 को अपने खाते दर्ज करवा कर उक्त आरजी पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 49 पुरानी 34 कुल चार किताब की 0.4290 हेक्टेयर भूमि की रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई ।अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया गया कि उपरोक्त उनवान का दावा झूठा व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित विवादित आरजी का वादपत्र न्यायालय हाजा में जैरकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 से 61 के अनुसार उक्त वाद ग्रस्त आरजी का पूर्व में बंटवारा होकर अंतिम निर्णय हो चुका है तथा आराजी प्रार्थी गण के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता के पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित विवादित आरजी की जानकारी प्रार्थी दिनांक 22.05.2012 को होना बता रहा है जबकि प्रार्थी ने उक्त नामांतरण की अपील दिनांक 1.4.2011 को न्यायालय अपर जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के यहां प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 19. 7.2011 को खारिज हो चुकी है। फिर प्रार्थी ने उक्त आदेश की रिवीजन न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में दिनांक 9.9.2011 को की वह भी 30.10. 2012 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार उक्त वाद में विवादित आरजी एवं समान प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता के मध्य पूर्व में फैसला हो चुका है उक्त विवादित आरजी का बंटवारा खुले प्रांगण में किया गया था। अतः इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया ।

दौराने बहस एवं प्रस्तुत अभिलेखों के परिशीलन उपरांत निम्न बिंदु विचारणीय हैं:

1. क्या प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत क्लेम के आधार पर विवादित भूमि में उसके हिस्से के संबंध में प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनता है?

2. क्या सुविधा का संतुलन (balance of convenience) प्रार्थी के पक्ष में है?

3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दिए जाने की दशा में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति (irreparable injury) होने की संभावना है?

अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में यह सुव्यवस्थित विधि है कि आदेश देने से पूर्व न्यायालय को उपर्युक्त तीनों शर्तों – प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन – के संबंध में संतोष होना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रथम दृष्टया मामला :-

प्रार्थीगण का मुख्य वाद वर्ष 2011 में हुए विभाजन एवं नामांतरण को चुनौती देने पर आधारित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने उक्त विभाजन आदेश के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड़ के समक्ष अपील (दिनांक 19.07.2011 को खारिज) एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष निगरानी (दिनांक 30.10.2012 को खारिज) प्रस्तुत की थी, जो गुण-दोष पर निर्णीत होकर खारिज हो चुकी हैं। चूंकि सक्षम न्यायालयों द्वारा विभाजन की पुष्टि पूर्व में की जा चुकी है और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, अतः प्रार्थीगण के पक्ष में कोई मजबूत 'प्रथम दृष्टया मामला' (Prima Facie Case) प्रतीत नहीं होता है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इंद्राज को धारा 140 भू-राजस्व अधिनियम के तहत सत्यता की उपधारणा प्राप्त है।

सुविधा का संतुलन:

विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है और उनका कब्जा भी बदस्तूर है। ऐसी स्थिति में केवल वाद लंबित होने के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) को अपनी भूमि के उपभोग से वंचित करना सुविधा का संतुलन उनके विरुद्ध करना होगा। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षति:

प्रार्थीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं कि निषेधाज्ञा जारी न करने पर उन्हें कोई ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में नहीं की जा सकती। यदि मुख्य वाद में प्रार्थीगण सफल होते हैं, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 (Lis Pendens) का सिद्धांत लागू होगा, जो किसी भी विचाराधीन बेचान को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखता है। अतः अपूरणीय क्षति का अभाव है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आवश्यक घटकों को अपने पक्ष में स्थापित करने में असफल रहे हैं। पूर्व न्याय

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)